भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

(114)

न्यायालय श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, राजस्व मण्डल ग्वालियर
कैम्प भोपाल

प्रकरण क्रमांक : R-2881-PBR/14

Entry 222

गजानन फड़से आत्मज श्री डी. डी फड़से
आयु वयस्क, निवासी 154, आकृति गार्डन,
नेहरू नगर, भोपाल .... **प्रार्थी**

विरूद्ध

हेमचन्द पाण्डे आत्मज स्व. श्री रामचंद्र पाण्डे
आयु वयस्क, निवासी बी–14, सुरेन्द्र गार्डन,
होशंगाबाद रोड, भोपाल .... **प्रतिप्रार्थी**

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.राजस्व संहिता, 1959 विरूद्ध सीमांकन आदेश दिनांक 16.02.2014 जो प्रकरण क्रमांक 33/अ–12/रा.नि.म.–3/2013–14 में राजस्व निरीक्षक मण्डल–3, तहसील हुजूर, ज़िला भोपाल द्वारा पारित किया गया

श्री संदीप श्रीवास्तव अभिभाषक द्वारा आज दिनांक 28-8-14 को भोपाल कैम्प पर प्रस्तुत। 28-8-14

महोदय,

प्रार्थी की ओर से निम्नलिखित तथ्यों एवं विधिक आधारों पर यह निगरानी प्रस्तुत है :–

01. यह कि, प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि ग्राम मेंडोरी, तहसील हुजूर, ज़िला भोपाल स्थित भूमि खसरा नम्बर 6, 7, 9 एवं 10, कुल किता 04, कुल रकबा 15.96 एकड़ में से रकबा 0.26 एकड़ का फ़ार्म हाऊस क्रमांक 51 उक्त भूमि के भूमिस्वामी से रजिस्टर्ड विक्रय–पत्र दिनांक 28.06.1990 के द्वारा सुमित भार्गव ने क्रय किया हैं

30-8-14

02. यह कि, उक्त फ़ार्म हाऊस क्रमांक 51 प्रार्थी ने रजिस्टर्ड विक्रय–पत्र दिनांक 11.07.2006 के द्वारा उक्त फ़ार्म हाऊस के स्वामी सुमित कुमार भार्गव आत्मज प्रभात शंकर भार्गव द्वारा मुख़्तारआम राजेश वाधवानी से क्रय कर मौके पर उक्त फ़ार्म हाऊस क्र. 51 का आधिपत्य प्राप्त किया हैं

03. यह कि, प्रार्थी उक्त फ़ार्म हाऊस क्रय दिनांक 11.07.2006 से उक्त फ़ार्म हाऊस पर शांतिपूर्ण ढंग से अपना आधिपत्य क़ायम रख, विधिवत् उक्त फ़ार्म हाऊस पर ग्राम पंचायत मेंडोरी से निर्माण की अनुमति प्राप्त कर निर्माण किया है।

04. यह कि, प्रतिप्रार्थी, जो कि खसरा क्र. 81 का अपने आपको भूमिस्वामी होना बताता है, ने अपनी भूमि का सीमांकन इस तरह से कराया कि उसकी भूमि पर प्रार्थी का अवैध आधिपत्य बताया गया हैं

05. यह कि, प्रतिप्रार्थी द्वारा कराये गये सीमांकन से दुःखित एवं असंतुष्ट होकर

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-2881-PBR/14 जिला - भोपाल

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
27-8-2019	प्रकरण आज प्रस्तुत । प्रकरण का अवलोकन किया गया । यह निगरानी राजस्व निरीक्षक मण्डल-3 तहसील हुजूर जिला भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 16.02.2014 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है । मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम 2018 जो 27 जुलाई 2018 को मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित हुआ है, तथा दिनांक 25.09.2018 से लागू हुआ है । संशोधित अधिनियम की धारा 54 के अनुसार संशोधित अधिनियम 2018 के प्रवृत्त होने के ठीक पूर्व लंबित पुनरीक्षण के संबंध में धारा 54(क) के अनुसार "यदि वे किसी आवेदक के आवेदन पर शुरू की गई हो, मण्डल या उपरोक्त संशोधन अधिनियम द्वारा यथा संशोधित अधिनियम की धारा 50 की उपधारा 1 के अधीन उन्हें सुने जाने हेतु विनिश्चत किये जाने के लिए सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी और यदि इस प्रयोजन के लिए अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।" चूंकि आवेदक द्वारा यह निगरानी राजस्व निरीक्षक मण्डल-3 तहसील हुजूर न्यायालय के आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है । अतः संशोधित अधिनियम की धारा 54(ए) के अंतर्गत प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर, भोपाल को भेजा जाता है । कलेक्टर, भोपाल प्रकरण पंजीबद्ध कर म0प्र0 भू0रा0 सं0 की धारा 50 (1)(सी) के अंतर्गत पक्षकारों की सुनवाई कर यथोचित आदेश पारित करें । उभय पक्षकार दिनांक 22-10-2019 को कलेक्टर के समक्ष उपस्थित हों । अध्यक्ष	